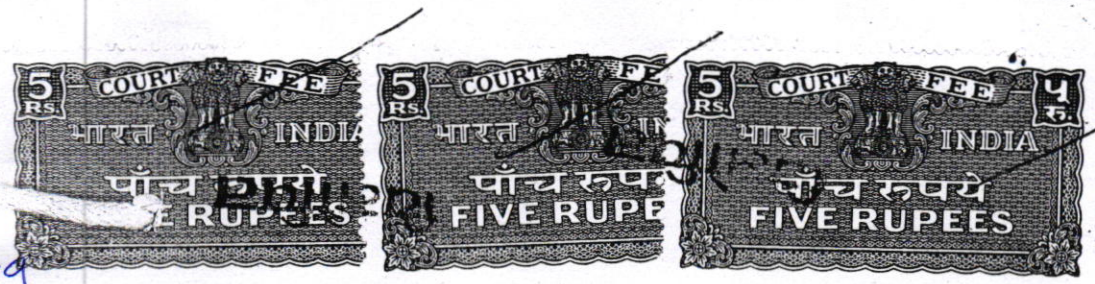

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

89

CF Rs 15/-

आज दि० 6-11 26-12-07 को प्रस्तुत

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

R 1983 - II / 107

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2007/निगरानी

मुकेश पुत्र श्री रामस्वरूप नाबालिग
सरपरस्त पिता रामस्वरूप शर्मा
निवासी ग्राम बेरियावर तहसील गोहद
जिला - भिण्ड म०प्र०

---- आवेदक

विरुद्ध

1- म०प्र० शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महो०
जिला - भिण्ड (म०प्र०)

- अनावेदक

2- भीकाराम के वारिस :-

अ- गौरीशंकर पुत्र स्व०श्री भीकाराम
ब- ओमप्रकाश पुत्र स्व०श्री भीकाराम
स- नवल किशोर पुत्र स्व०श्री भीकाराम
निवासीगण ग्राम सोनी तहसील -
मेहगांव जिला भिण्ड (म०प्र०)

--- अनावेदकगण

S. L. Dhakad
Adv.
26/12/07

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 2-8-99 पारित न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड (म०प्र०) के प्रकरण क्र० 71/97-98/स्व.निग./

------x-------

माननीय न्यायालय,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 1983–दो/2007 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	यह निगरानी कलेक्टर जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 71/1997–98 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2–8–1999 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गमत प्रस्तुत की गई है। तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 16–5–2008 से लिये गये निर्णय के कम में आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक के पैनल लायर को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अवधि विधान की धारा–5 में अंकित आधारों पर तर्क दिया कि आवेदक के पिता फौज में नौकरी करते थे और आवेदक अपने पिता के साथ रहता था तथा भूमि अपने ग्राम के भाई को बटाई पर देकर चला जाता था। जब पिता रिटायर हुये उसके वाद वह घर आये किन्तु दिनांक 20–8–07 को अनावेदक गौरीशंकर एक पुलिस दीवान को लेकर आया तब उक्त सर्वे नंबर की जानकारी उसे हुई है। खोजबीन करने पर दिनांक 5–9–07 को आवेदन देकर प्रमाणित प्रतिलिपि निकाली , उसके वाद विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत की है। शासन के पैनल लायर का तर्क है कि सात वर्ष तक आवेदक का कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 2–8–1999 का पता नहीं चला हो, यह संभव ही नहीं है क्योंकि शासन की ओर से साल–दर–साल ग्राम पंचायत को एंव सम्बन्धित कृषक को खसरे की प्रतियॉ उपलब्ध कराई जाती है इसलिये आवेदक व्दारा आदेश की जानकारी का दिया गया विवरण गलत होने से निगरानी समयवाह्य है।	

3/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर विचार करने तथा आवेदक के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। इसी कम में कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 2–8–99 का अवलोकन करने पर आदेश के पद 3 में इस प्रकार अंकित होना पाया गया :–

" अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के प्रतिउत्तर में अनावेदक ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि नोटिस में वर्णित तथ्य आधारहीन होने से स्वीकार नहीं।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक कलेक्टर भिण्ड के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा है एंव अवधि विधान की धारा –5 के आवेदन में उसके व्दारा दिया गया विवरण उक्त के विपरीत है जिसके कारण आवेदक व्दारा निगरानी प्रस्तुत करने में किया गया विलम्ब (7 वर्ष 4 माह) क्षमा करना संभव नहीं है।

1. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा –5 – समय वर्जित अपील – विलम्ब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का सही श्रोत नहीं दर्शाया – प्रत्येक दिन के विलम्ब के विषय में स्पष्टीकरण भी नहीं दिया – विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता।

   प्रस्तुत की गई अपील विहित अवधि के भीतर नहीं थी अपितु समयवर्जित थी। विलम्ब क्षमा करने की प्रार्थना की गई थी, परन्तु विलम्ब क्षमा किये जाने के संबंध में दर्शाया गया कारण समुचित कारण की कोटि में नहीं आता था। विलम्ब क्षमा करने से इंकार कर दिया गया। स्टेट आफ एम0पी0 बनाम रामप्रकाश शर्मा 1989 जे0एल0जे0 36 म0प्र0 तथा कृष्णदास बनाम म्युनिस्पिल कार्पो0 ग्वालियर 1997 (2) म0प्र0वी0नो0 111 से अनुसरित.

2. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 – अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्ष को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निगरानी 7 वर्ष 4 माह विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य